

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन-249193

दूरभाष - +917895754011, 9412139791

ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-109/2024

दिनांक:- 24.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री उज्जवल चन्द पुत्र श्री हीरा चन्द ग्राम श्रीकोट पुरोला बड़कोट।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

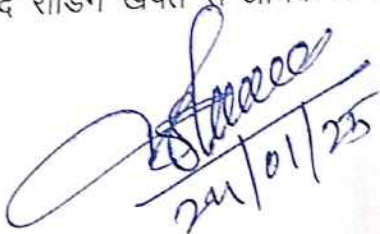
:: निर्णय ::

परिवादी श्री उज्जवल चन्द पुत्र श्री हीरा चन्द ग्राम श्रीकोट पुरोला बड़कोट का शिकायती पत्र दिनांक-21/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या बी0डी013208307082 पर विद्युत बिल रु0 22000.00 (बाईस हजार) का आया है जबकि उनके द्वारा कभी-कभार ही उक्त संयोजन से विद्युत का उपभोग किया जाता है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि निर्गत बिल को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही पत्रांक 93/वि0उ0शि0नि0मं0 उका फोरम दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से नोटिस भेजा गया और सुस्पष्ट आख्या दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या मंच के समक्ष पेश नहीं की गयी। मंच द्वारा न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई में आख्या पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या पेश की गयी, जिसमें मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल रीडिंग के आधार पर सही पाया गया है यदि रीडिंग खपत से अधिक लग रही है तो उक्त संयोजन पर चेक मीटर लगाने हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड

Kutara
24/01/25
क्रमशः 2.....


24/01/25

कार्यालय में जमा कर दे तथा चेक मीटर हेतु पंजीकरण करने पर नियमानुसार चेक मीटर शुल्क जमा होने के उपरान्त उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित कर दिया जाएगा, और चेक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर बिल संशोधित कर दिया जाएगा।

मंच ने उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपभोक्ता द्वारा अधिक बिल आने की शिकायत की गयी है, लेकिन विभाग ने दावा किया कि उपभोक्ता का बिल मीटर यूनिट के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं और उपभोक्ता को संशय होने पर चेक मीटर शुल्क जमा कर मीटर टेस्टिंग करवा सकता है। उपभोक्ता के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर मंच द्वारा यह पाया गया कि उपभोक्ता का बिल उसके संविदाकृत भार की तुलना में अधिक नहीं है और तकनीकी दृष्टि से संशय योग्य नहीं है। अतः परिवादी विभाग में चेक मीटर शुल्क जमा कर मीटर की जांच करवा सकता है। त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपभोक्ता के बिलों में विनियमों के अनुसार सुधार कर दिया जाएगा। उपभोक्ता का बिल नियमित जमा न करने के कारण अत्यधिक हुआ है।

इसके अलावा मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता के पूर्व में दिए गए एन0आर0 के बिल का विनियमों के अनुसार समायोजन कर दिया गया है लेकिन उपभोक्ता को दिनांक 28.02.2015 से दिनांक 10.12.2015 तक निर्गत किए गए आई0डी0एफ बिलों का समुचित संशोधन नहीं किया गया है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007, कं 3.2 (त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में बिलिंग) का उल्लंघन है। उक्त विनियम में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अधिक एन0आर0/आर0डी0एफ/आई0डी0एफ के बिल प्रेषित नहीं किए जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के 5.2 Billing के अन्तर्गत 5.2.1 के पैरा (7) में त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के नियम विनिर्दिष्ट हैं।

5.2 Billing

5.2.1 (7) Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycles. In case meter is rendered inaccessible for two consecutive billing cycles, action as per Clause (7) of Sub-regulation 5.1.2 shall be enforced. यही नियम आपूर्ति संहिता 2020 में और टैरिफ आदेश के अध्याय 8 के पैरा 4 में स्पष्ट रूप से अंकित है जो कि निम्नवत् है-

4. त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं

[Signature]
24/01/2025

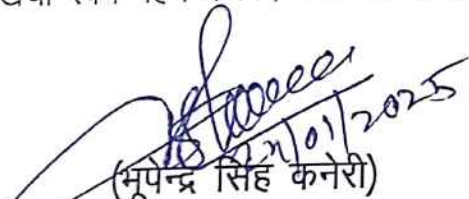
[Signature] क्रमशः 3.....
24/01/2025

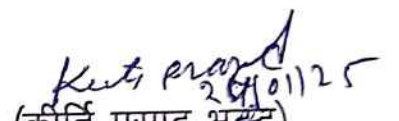
की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपभोक्ता के दिनांक 28.02.2015 और 18.04.2015 के बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं दिनांक 10.06.2015 से 10.12.2015 के बिल निरस्त करना न्यायोचित होगा। निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा।

:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवादिनी के बिलों को संशोधित कर अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(मोहन सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कृति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-147/2024

दिनांक:- 25.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह, ग्राम अलेथ पो0 मानपुर भटवाडी
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह, ग्राम अलेथ पो0 मानपुर भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-13/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन संख्या यू0के11317008604 पर अधिकतर सी0एफ0एल बल्बों का ही उपयोग किया जाता है लेकिन विद्युत बिल खपत की अपेक्षा से अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने एवं स्थापित मीटर को बदलने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा पत्रांक 113/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 13.11.2024 के मार्फत नोटिस भेजा गया और दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग की आख्या मंच के समक्ष अप्राप्त रही। मंच द्वारा न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए अगली सुनवाई में आख्या पेश करने के आदेश दिए। दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 827/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 03.12.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन

25/01/25

25/01/2025

25/01/25 क्रमशः 2.....

की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता के बिल माह 07/2024, 09/2024 एवं 11/2024 की खपत क्रमशः 109, 93 एवं 106 यूनिट है। उपभोक्ता के बिल माह 07/2024, 09/2024 एवं 11/2024 की खपत क्रमशः 109, 93 एवं 106 यूनिट है। उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल शीडिंग के आधार पर ही निर्मात किये जा रहे हैं, जिस पर अवशेष बीजक की धनराशि रु0 3096.00 (रुपये तीन हजार छियानवे) है, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है।

मंच ने उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री से विदित है कि विपक्षी/विभाग ने उपभोक्ता के पूर्व में दिए आई0डी0एफ बिलों को दिनांक 09.01.2016 के बिल में समायोजित कर विनियमों के अनुसार संशोधन कर दिया है। उपभोक्ता का बिल उसके संविदाकृत भार दो कि0वा0 की तुलना में तकनीकी दृष्टि से अधिक नहीं प्रतीत होता है। उक्त परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त/खारिज करने योग्य है। उपभोक्ता द्वारा नियमित रूप से बिल जमा न करने के कारण अधिक बढ़ा है। बावजूद इसके परिवादी को यदि ज्यादा बिल संबंधी शंका दूर करनी है तो वह नियमानुसार चेक मीटर शुल्क जमा कर अपने मीटर की गुणवत्ता की जांच करवाने को स्वतंत्र है। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला खारिज किया जाता है। मामले में निम्न आदेश

दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

अमिताभ
(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

भूपेन्द्र सिंह
(भूपेन्द्र सिंह कनेशी)
तकनीकी सदस्य

कुसुम प्रसाद
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

दिनांक:- 27.01.2025

परिवाद संख्या-152/2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री धनेस कुमार पुत्र स्व० श्री राजकुमार, ग्राम थाती धनारी डुण्डा
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी-

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री धनेस कुमार पुत्र स्व० श्री राजकुमार, ग्राम थाती धनारी डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक-20/11/2024 को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके14112413486 जो कि राजकुमार के नाम से संचालित है, पर बिल एन०आर० के आधार पर दिए जा रहे हैं और वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। शिकायतकर्ता ने विद्युत बिल को सही संशोधित करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-118/2024 वि०उ०शि०नि०मं०उका फोरम/दिनांक-21/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-25/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी ने मंच के समक्ष पत्रांक 373/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 23.11.2024 के पत्र के माध्यम से अवगत किया गया कि उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 17.01.2008 से 25.01.2016, दिनांक 19.03.2017 से

Kutkrap
27/01/25 क्रमशः 2.....

Shit
27/01/25

27/01/2025



18.07.2018, दिनांक 22.11.2019 से 22.11.2020 तक एन0आर0/आई0डी0एफ पर निर्गत किए गए। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रु0 120504.00 (रुपये एक लाख बीस हजार पांच सौ चार) है। शिकायतकर्ता द्वारा आज तक कोई भी विद्युत बिल जमा नहीं किया गया है। विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त सुनवाई के दौरान ही एक और आख्या पेश की, जिसमें अवगत कराया गया कि परिवादी के दो बिलिंग चक्र से अधिक निर्गत एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल रु0 120504.00 (रुपये एक लाख बीस हजार पांच सौ चार) को संशोधित कर रु0 23307.04 (तैंईस हजार तीन सौ सात रुपये चार पैसे) कर खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।

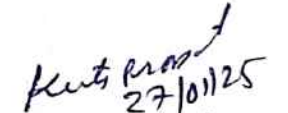
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया गया। मंच द्वारा पाया गया कि परिवादी द्वारा एन0ए0/आई0डी0एफ के बिल भेजे जाने की शिकायत की गई है। इस पर विपक्षी/विभाग द्वारा माननीय आयोग के विनियम के अनुसार बिल संशोधित कर दिया। परिवादी ने सुनवाई के दौरान उक्त संयोजन को अपने नाम परिवर्तन करने का अनुरोध मंच से किया। ऐसे में यदि परिवादी विनियम के अनुसार संयोजन नाम परिवर्तन संबंधी सभी औपचारिकतायें पूरी करता है तो विपक्षी संयोजन में नाम परिवर्तन की कार्यवाही अमल में लाएं। विपक्षी की कार्यवाही से परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया जिस पर परिवादी ने संतुष्टि जाहिर की है। उपरोक्त आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। परिवाद में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की अधिक गलत बिल संबंधी शिकायत का नियमानुसार समाधान कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी संयोजन में नाम परिवर्तन संबंधी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने पर नियमानुसार संयोजन में नाम परिवर्तन की कार्यवाही करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-163/2024

दिनांक:- 03.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मोहन सिंह, ग्राम/पो0 माजफ प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मोहन सिंह, ग्राम/पो0 माजफ, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11053041547 पर स्थापित विद्युत मापक माह मार्च में खराब हो गया था, और विभाग द्वारा मनमाने तरीके से रु0 1000.00 (एक हजार) के हिसाब से बिल दिए गए जिनको उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। माह सितम्बर-अक्टूबर में नया मीटर स्थापित किया गया जिस पर बिल रु0 6962.00 (छः हजार नौ सौ बासठ) दिया गया है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संशोधित बिल की आख्या पेश की गयी।

K. S. Ramesh
03/01/25
क्रमशः 2.....

B. S. Ramesh
03/01/25

[Signature]
03/01/2025

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने और बिल एन0ए0 पर निर्गत करने की शिकायत की गई। इस पर विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर परिवादी को निर्गत एन0ए0 बिलों पर रु0 3412.00 (तीन हजार चार सौ बारह) का समायोजन कर अन्तिम संशोधित बिल रु0 3550.00 (तीन हजार पांच सौ पचास) का बना दिया गया है, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। विपक्षी की कार्रवाई से परिवादी को अवगत कराया गया जिस पर परिवादी ने पूर्ण संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

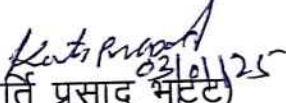
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-164/2024

दिनांक:- 25.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद मट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री नूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष मट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री नरोत्तम लाल, ग्राम धौड़की पो0 लम्बगांव
प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांशी अनियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री नरोत्तम लाल, ग्राम धौड़की पो0 लम्बगांव प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या टी0एच21114109140 पर उनके द्वारा रु0 18600.00 (रुपये अठ्ठारह हजार छः सौ) जमा किए गए थे लेकिन उनका बिल अभी तक सही होकर नहीं आया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री पेश की गयी। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी को निर्गत समस्त एन0ए0 बिलों का विद्युत आपूर्ति संहिता के नियमानुसार बिलों को संशोधित करें और आख्या अगली सुनवाई के दौरान पेश करना सुनिश्चित करें।

25/1/25

25/01/2025

25/01/25
क्रमशः 2.....

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 224/वि0वि0उ0ख0प0 दिनांक 02.01.2025 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रु0 18300.00 (रुपये अट्ठारह हजार तीन सौ) को संशोधित कर रु0 6730.00 (रुपये छः हजार सात सौ तीस) कर दिया गया है।

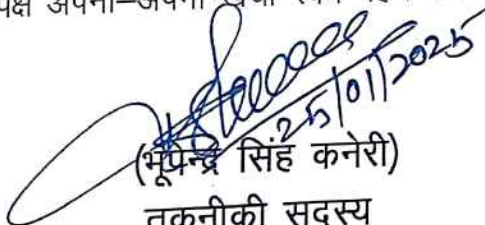
उभय पक्षों को सुना गया। मंच द्वारा पाया गया कि परिवादी ने गत बिल सही करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर विपक्षी ने माननीय आयोग के विनियमों के अनुसार परिवादी के गलत बिल को संशोधित कर सही बिल जारी किया गया है। परिवादी ने विपक्षी/विभाग की कार्यवाही पर दूरभाष के माध्यम से संतुष्टि जाहिर की गई।

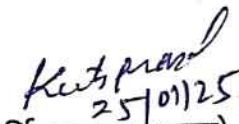
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की गलत बिल संबंधी शिकायत का समाधान कर दिए जाने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-166/2024

दिनांक:- 03.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेमदास पुत्र स्व० श्री जानकी दास, ग्राम पूजारगांव प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री प्रेमदास पुत्र स्व० श्री जानकी दास, ग्राम पूजारगांव प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11081003540 पर विद्युत खपत की अपेक्षा गलत बिल दिया जा रहा है मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संशोधित बिल की आख्या पेश की गयी।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने और बिल एन0ए0 पर निर्गत करने की शिकायत की गई। इस पर विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर परिवादी को एन0ए0 पर जारी बिलों को संशोधित कर परिवादी के रु० 1815.00 (एक हजार आठ सौ पंद्रह) के बिल में रु० 1102.00 (एक हजार एक सौ दो) का समायोजन

03/01/25

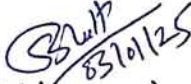
03/01/2025

क्रमशः 2.....
03/01/25

दिया गया। अब परिवादी को अवशेष धनराशि रु0 713.00 (सात सौ तेरह) जमा करना शेष है। विपक्षी की कार्रवाई से परिवादी को अवगत कराया गया जिस पर परिवादी ने पूर्ण संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

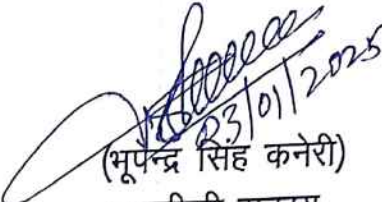
:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

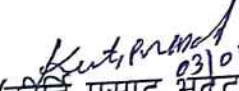

(संतोष भट्ट)

उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)

न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-168/2024

दिनांक:- 25.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विजयपाल सिंह, ग्राम मिश्रवाण गांव प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री विजयपाल सिंह, ग्राम मिश्रवाण गांव प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11061002849 पर दिनांक 21.03.2024 को विद्युत विभाग द्वारा आयोजित थौलधार कैम्प में उनसे बिल के सापेक्ष रु0 5000.00 (रुपये पांच हजार) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुए न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

Kut, Prad
25/01/25

क्रमशः 2.....



Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 227/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रु0 15554.00 (रुपये पंद्रह हजार पांच सौ चौवन) को संशोधित कर रु0 1664.00 (रुपये एक हजार छः सौ चौंसठ) कर दिया गया है।

उभय पक्षों को सुना गया। परिवाद में मंच द्वारा पाया गया कि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी शिकायत का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। परिवादी ने दूरभाष पर विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की गई। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

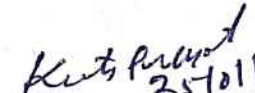
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193

Ph:- +917895754011, 9412139791

E-mail : cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।

पिन:-249193

दूरभाष : +917895754011, 9412139791

ई-मेल :- cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-177/2024

दिनांक :-27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री चंदन सिंह, ग्राम व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री चंदन सिंह, ग्राम व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्य-टी0एच11163006057 पर दिनांक 20.03.2024 को उनके बिल के सापेक्ष रु0 6000.00 (रुपये छः हजार मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

K. R. Pandey
27/01/25

क्रमशः 2.....



दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 236/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रू0 10338.00 (रूपये दस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) को संशोधित कर रू0 2.00 (दो रूपये मात्र) कर दिया गया है।

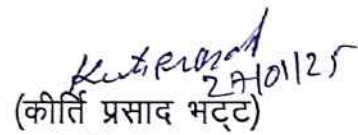
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 6000.00 को कनज्यूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 28.03.2024 को दर्शित कर दिनांक 13.05.2024 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0ए0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रू0 10338.00 से संशोधित कर रू0 2.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0ए0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail : cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दूरभाष : +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- cgrfuki@gmail.com

दिनांक :-27.01.2025

परिवाद संख्या-178/2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बलवीर सिंह, ग्राम-घंडियालगांव, पो-मुखेम प्रतापनगर टिहरी।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

परिवादी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री बलवीर सिंह, ग्राम-घंडियालगांव, पो-मुखेम, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्य-टी0एच11157005883 पर दिनांक 09.03.2024 को उनके बिल के सापेक्ष रू0 8000.00 (रूपये आठ हजार मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

K. S. Singh
27/01/25

क्रमशः 2.....

27/01/2025

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 237/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रु0 12111.00 (रुपये बारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र) को संशोधित कर रु0 1.00 (रुपये एक मात्र) कर दिया गया है।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रु0 8000.00 को कनज्पूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 15.03.2024 को दर्शित कर दिनांक 28.03.2024 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0आर0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रु0 12111.00 से संशोधित कर रु0 1.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0आर0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र सिंह कनेसी)
तकनीकी सदस्य

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-185/2024

दिनांक:- 04.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री इन्दर लाल पुत्र श्री गुमान लाल, ग्राम घण्डियाल गांव प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री इन्दर लाल पुत्र श्री गुमान लाल, ग्राम घण्डियाल गांव, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके द्वारा उनके विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11157005843 पर दिनांक 06.03.2024 को रु0 4000.00 (चार हजार) जमा किए गए थे, परन्तु उनका बिल अभी तक सही होकर नहीं आया है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संशोधित बिल की आख्या पेश की गयी।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने और बिल एन0ए0 पर निर्गत करने की शिकायत की गई। इस पर विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर परिवादी को निर्गत एन0ए0/एन0आर0 बिलों पर रु0 1500.00 (एक हजार पांच सौ) का समायोजन कर अन्तिम संशोधित बिल रु0 632.00 (छ: सौ बत्तीस) का बना दिया गया है, जो कि

[Signature]
04/01/25

[Signature]
04/01/2024

[Signature]
04/01/25 क्रमश: 2.....

उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। विपक्षी की कार्रवाई से परिवादी को अवगत कराया गया जिस पर परिवादी ने पूर्ण संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल क़तर हो।


(संतोष भट्ट)
04/01/25
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
04/01/2025
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
04/01/25
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-186/2024

दिनांक:- 04.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जब्बर सिंह, ग्राम/पो0 माजफ प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जब्बर सिंह, ग्राम/पो0 माजफ प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11053109520 पर विद्युत बिल आई0डी0एफ के आधार पर निर्गत हुए हैं और अब नया मीटर स्थापित कर दिया गया है जिसकी रीडिंग मात्र 2 यूनिट है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संशोधित बिल की आख्या पेश की गयी।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने अधिक बिल आने और बिल एन0ए0 पर निर्गत करने की शिकायत की गई। इस पर विपक्षी ने अपनी

04/01/25

04/01/2025

04/01/25 क्रमशः 2.....



गलती स्वीकार कर परिवादी को निर्गत आई0डी0एफ बिलों पर रु0 5000.00 (पांच हजार) का समायोजन कर अन्तिम संशोधित बिल रु0 2317.00 (दो हजार तीन सौ सत्रह) का बना दिया गया है, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। विपक्षी की कार्रवाई से परिवादी को अवगत कराया गया जिस पर परिवादी ने पूर्ण संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

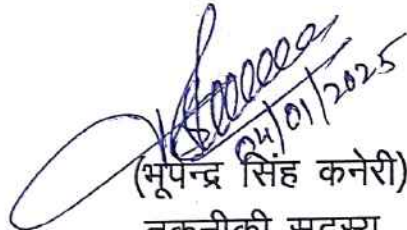
:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

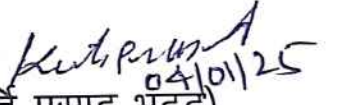

(संतोष भट्ट)
04/01/25

उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
04/01/2025
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
04/01/25
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail : cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दृष्टाव : +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-187/2024

दिनांक :-27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री श्री धन सिंह, ग्राम-मस्ताड़ी व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी।
वनाम
अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

परिवादी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री धन सिंह, ग्राम-मस्ताड़ी व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्य-टी0एच11165002388 पर दिनांक 16.03.2024 को उनके विल के सापेक्ष रू0 6000.00 (रुपये छः हजार मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके विल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर विल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

K. Prasad
27/01/25

क्रमशः 2.....

[Signature]
27/01/2025

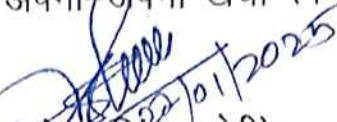
दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 246/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रू0 21643.00 (रुपये इक्कीस हजार छः सौ तैंतालीस मात्र) को संशोधित कर रू0 4816.00 (रुपये चार हजार आठ सौ सोलह मात्र) कर दिया गया है।

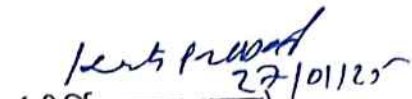
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 6000.00 को कनज्यूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 16.03.2024 को दर्शित कर दिनांक 28.03.2024 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0ए0/आर0डी0एफ0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रू0 21643.00 से संशोधित कर रू0 4816.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0ए0/आर0डी0एफ0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail : cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दूरभाष : +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-189/2024

दिनांक :-27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती भगवनी देवी, ग्राम व पो0-कंडियालगांव, प्रतापनगर टिहरी।
बनाम
अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

परिवादी
विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्रीमती भगवनी देवी, ग्राम व पो0-कंडियालगांव, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्य-टी0एच21140124767 पर दिनांक 19.07.2024 को उनके बिल के सापेक्ष रू0 3764.00 (रुपये तीन हजार सात सौ चौंसठ मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

Kirti Prasad
27/01/25

क्रमशः 2.....

[Signature]
27/01/2025

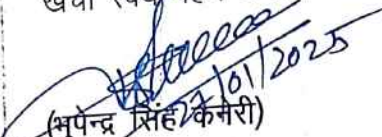
दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 248/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रू0 5159.00 (रुपये पांच हजार एक सौ उनसठ मात्र) को संशोधित कर रू0 -3441.00 (रुपये तीन हजार चार सौ इकतालीस मात्र) कर दिया गया है।

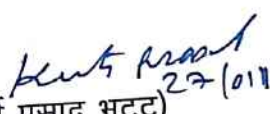
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 3764.00 को कनज्यूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 19.07.2024 को दर्शित कर दिनांक 23.08.2024 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0ए0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रू0 5159.00 से संशोधित कर रू0 -3441.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0ए0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(भूपेन्द्र सिंह केनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail :cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दूरभाष : +917895754011, 9412139791
ई-मेल :-cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-190 / 2024

दिनांक :-27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री एलमदास, ग्राम व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी ।
बनाम
अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी ।

परिवादी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री एलमदास, ग्राम व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्य-टी0एच11163006022 पर दिनांक 31.03.2022 को उनके बिल के सापेक्ष रू0 6100.00 (रुपये छः हजार एक सौ मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

K. P. Singh
27/01/25

क्रमशः 2.....

[Signature]
27/01/2025

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 249/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रू0 26145.00 (रुपये छब्बीस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) को संशोधित कर रू0 5548.00 (रुपये पांच हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र) कर दिया गया है।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 6100.00 को कनज्यूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को दर्शित कर दिनांक 29.03.2023 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0ए0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रू0 26145.00 से संशोधित कर रू0 5548.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0ए0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

Keerti Prasad Mehta
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-191/2024

दिनांक :-27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राकेश सिंह, ग्राम व पो-कंडियालगांव, प्रतापनगर टिहरी।
बनाम
अधिकांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

परिवादी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राकेश सिंह, ग्राम व पो-कंडियालगांव, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्य-टी0एच2140006886 पर दिनांक 29.03.2024 को उनके बिल के सापेक्ष रु0 4810.00 (रुपये चार हजार आठ सौ दस मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

Kirti Prasad
27/01/25

क्रमशः 2.....

[Signature]
27/01/2025

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 255/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल रू0 19147.00 (रुपये उन्नीस हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) को संशोधित कर रू0 2320.00 (रुपये दो हजार तीन सौ बीस मात्र) कर दिया गया है।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 4810.00 को कनज्यूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 29.03.2023 को दर्शित कर दिनांक 26.04.2023 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0ए0/आर0डी0एफ0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रू0 19147.00 से संशोधित कर रू0 2320.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0ए0/आर0डी0एफ0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarakashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarakashi-249193
Ph:- +917895754011, 9412139791
E-mail :cgrfukhi@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी ।
पिन:-249193
दूरभाष : +917895754011, 9412139791
ई-मेल :-cgrfukhi@gmail.com

परिवाद संख्या-192 / 2024

दिनांक :-27.01.2025

समस्त विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कुशल सिंह, ग्राम व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी।

बनाम

अधिकासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी।

परिवादी

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री कुशल सिंह, ग्राम व पो-रैका, प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक 27 / 11 / 2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित लम्बगांव शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन दिया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-टी0एच1163114829 पर दिनांक 02.05.2023 को उनके बिल के सापेक्ष रू0 8000.00 (रुपये आठ हजार मात्र) जमा कराये गये थे, लेकिन फिर भी उनके बिल को सही नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा विभागीय आख्या पेश करने हेतु समय मांगा गया, जिसे मंच द्वारा स्वीकार करते हुये न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुये विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करना सुनिश्चित करें।

क्रमसं. 2

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 250/वि0वि0उ0ख0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से आख्या पेश की जिसमें अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल रू0 13225.00 (रूपये तेरह हजार दो सौ पच्चीस मात्र) को संशोधित कर रू0 1885.00 (रूपये एक हजार आठ सौ पिचासी मात्र) कर दिया गया है।

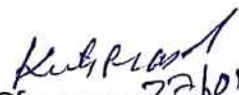
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने यह पाया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 8000.00 को कनज्यूर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 02.05.2023 को दर्शित कर दिनांक 25.05.2023 के बिल में समायोजन कर दिया गया है। उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किये गये सभी एन0आर0 के बिलों का समायोजन कर उपभोक्ता को देयक राशि रू0 13225.00 से संशोधित कर रू0 1885.00 कर दिया गया है। जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है। इस पर मामला निस्तारण योग्य है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी के एन0आर0 के बिलों का समायोजन नियमानुसार कर दिये जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वंसत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-202/2024

दिनांक:- 28.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती विक्रा देवी पत्नी स्व० श्री माती सिंह, ग्राम चौरी पो० गडोलिया
प्रतापनगर टिहरी।

परिवादिनी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती विक्रा देवी पत्नी स्व० श्री माती सिंह, ग्राम चौरी पो० गडोलिया प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-28/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित पीपलडाती शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या टी०एच१३४२९०४७०८१ पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं। मंच से परिवादिनी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री पेश की। माननीय आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2025 को देहरादून में एक दिवसीय बैठक आहूत की गयी जिस कारण दिनांक 08.01.2025 की सुनवाई 03.01.2025 को नियत की गई।

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 253/वि०वि०उप०प्र० दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उक्त संयोजन पर सभी बिल मीटर यूनिट पर बने हैं एवं संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

Kat, Prasad
28/01/25

क्रमशः 2.....

[Signature]
28/01/2025

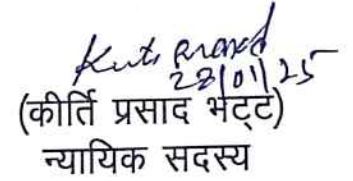
उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादिनी ने अधिक बिल आने की शिकायत की गई। विपक्षी/विभाग का दावा है कि उपभोक्ता का बिल मीटर यूनिट के आधार पर हैं और संशोधन योग्य नहीं है। मंच ने उपलब्ध कन्ज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन कर यह देखा गया कि उपभोक्ता का संयोजन 01 कि0वा0 का 28 नवम्बर 1996 को जीत सिंह के नाम पर निर्गत हुआ। उक्त संयोजन पर विद्युत खपत 01 कि0वा0 के संविदाकृत भार के अनुरूप अधिक नहीं है। उपभोक्ता द्वारा बिल की धनराशि जमा न होने के कारण देयक राशि अधिक हो गई है। परिवाद बलहीन होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला खारिज किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(मूनेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi - 249193

Ph:-+91 7895754011, 9412139791

E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन:-249193

दूरभाष:-+917895754011, 9412139791

ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-208/2024

दिनांक:- 27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)

श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, ग्राम हिटाणू (दुखार) डुण्डा
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

विपक्षी

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

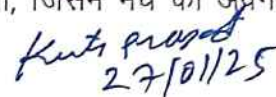
:: निर्णय ::

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री कलम सिंह, ग्राम हिटाणू (दुखार) डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-29/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन संख्या यू0के24108433716 पर विद्युत बिल पूर्व में आई0डी0एफ एवं एन0आर0 के निर्गत किए गए हैं और वर्तमान बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि उनके उक्त संयोजन पर बिल की धनराशि को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा पत्रांक 122/वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम दिनांक 29.11.2024 के मार्फत नोटिस भेजा गया और दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 385/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 14.12.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें मंच को अवगत


27/01/2025


27/01/25

क्रमशः 2.....



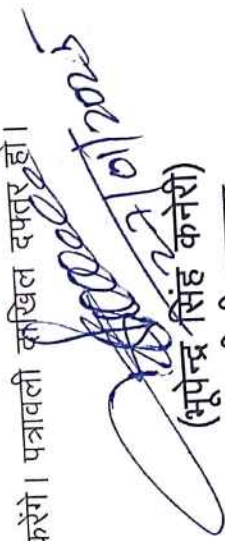
कराया गया कि उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को दिनांक 28.02.2018 से 16.10.2019 तक सभी विद्युत बिल आई0डी0एफ के आधार पर निर्गत हुए हैं, और वर्तमान में उपभोक्ता का बिल रु0 63207.00 (रुपये तिरैसठ हजार दो सौ सात) है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.07.2012 के उपरान्त आज तक कोई भी विद्युत बिल जमा नहीं किया गया है। उक्त सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 392/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से एक और आख्या मंच के समक्ष पेश की और अगवत कराया गया कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त प्रदर्शित मंच के समक्ष पेश की और अगवत कराया गया कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अतिरिक्त हजार दो सौ सात) समस्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त कर बिल रु0 63207.00 (रुपये तिरैसठ हजार दो सौ सात) बना दिया गया है।

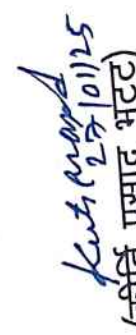
को संशोधित कर रु0 59248.50 (रुपये उनसठ हजार दो सौ अड़तालीस) किया। परिवारी का कथन है कि मंच ने उभय पक्षों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। परिवारी का कथन है, उसके पूर्व में निर्गत एन0आर0 और आई0डी0एफ बिलों के कारण बिल की धनराशि अधिक हो गई है, जिसका संशोधन किया जाए। विपक्षी/विभाग ने अपने पत्रांक 385/वि0वि0उ0प0ख0चि0 दिनांक 14.12.2024 और 392/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 16.12.2024 के मार्फत यह दावा किया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.07.2012 के उपरान्त बिल जमा न करने के कारण बिल की देयक राशि रु0 59248.50 (रुपये उनसठ हजार दो सौ उपभोक्ता को आई0डी0एफ/एन0आर0 बिलों को संशोधित कर रु0 59248.50 (रुपये उनसठ हजार दो सौ 63207.00 (रुपये तिरैसठ हजार दो सौ सात) को संशोधित कर रु0 59248.50 (रुपये उनसठ हजार दो सौ अड़तालीस) का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए खण्ड कार्यालय को भेज दिया गया है। मंच ने विपक्षी/विभाग की कार्यवाही को सही मानते हुए उपभोक्ता के आई0डी0एफ और एन0आर0 बिलों को प्रस्तावित आंकलन के अनुसार संशोधित कर बिल प्रेषित करना न्यायोचित होगा। इसके अलावा उपभोक्ता को हिदायत दी जाती है कि वह समय पर विद्युत देयक राशि जमा करे।

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवारी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता के आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतः समाप्त कर संशोधित बिल परिवारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवारी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली क़खिल दफ़तर हो।


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi - 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
फोन:- 249193
दूरभाष:-+91 7895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या=203/2024

दिनांक:- 27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गणेश सिंह पंवार, गंगोरी तह0 भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री गणेश सिंह पंवार, गंगोरी तह0 भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-29/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0कै21114010071 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत किए जा रहे हैं, और उन्हें वर्तमान समय में रु0 16468.00 (सोलह हजार चार सौ अड़सठ) के बिल दिया गया है। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध है कि निर्गत बिल को संशोधन करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही पत्रांक 123/वि0उ0शि0नि0मं0 उका फोरम दिनांक 29.11.2024 के माध्यम से नोटिस भेजा गया और सुस्पष्ट आख्या दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 825/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 03.12.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का माह 08/2024, 09/2024 एवं 10/2024 की खपत क्रमशः 312, 153 एवं 213 यूनिट है।

27/01/25

27/01/2025

27/01/25 पृ. 2

उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं व उपभोक्ता द्वारा माह 02/2022 से कोई भी विद्युत बीजक जमा नहीं किया गया है। वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 16048.00 (सोलह हजार अड़तालीस) का बकाया है।

मंच ने पत्रावली का अवलोकन किया। उपभोक्ता द्वारा परिवार अधिक धनराशि के बिल विभाग द्वारा निर्गत किए जाने संबंधी दर्ज कराया है। विभाग का दावा है कि उपभोक्ता के बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता की विद्युत खपत उपभोक्ता के संविदाकृत भार एक कि0वा0 की तुलना में अधिक नहीं है। उपभोक्ता द्वारा नियमित बिल की देयक राशि जमा न होने के कारण बिल अधिक हो गया है। उपभोक्ता को हिदायत दी जाती है कि वह समय पर बिल जमा करें, और मीटर की गुणवत्ता में संशय होने पर चेक मीटर राशि जमा कर मीटर परीक्षण करवाने को स्वतंत्र है। इसके अलावा मंच द्वारा बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन पर यह भी पाया गया कि उपभोक्ता का मीटर दिनांक 15.10.2011 को आई0डी0एफ घोषित करने के उपरान्त विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2014 को मीटर बदल दिया गया, लेकिन इस दौरान उपभोक्ता को निर्गत आई0डी0एफ के बिलों की राशि का समुचित समायोजन नहीं किया गया। माननीय आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार उपभोक्ता को दो से अधिक आई0डी0एफ बिल प्रेषित करना विनियमों का उल्लंघन है। उक्त परिवाद में विभाग ने उपभोक्ता को दिनांक 15.10.2011 से 20.02.2014 तक आई0डी0एफ के आधार पर बिल प्रेषित किए।

अतः मंच का यह मत है कि उपभोक्ता के दिनांक 15.10.2011 और 16.12.2011 के बिल उपभोक्ता के पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर समायोजन करना एवं दिनांक 15.02.2012 से 22.02.2014 तक के बिलों को निरस्त करना न्यायोचित होगा। विपक्षी/विभाग उपरोक्त अवधि के निरस्त किए गए बिलों में किसी भी प्रकार का सरचार्ज भी नहीं मांग कर सकता है।

(UERC द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अध्याय 08 दर अनुसूची के बिन्दु संख्या 4)

4. त्रुटिपूर्ण मीटर (ADF/IDF), मीटर पहुंच नहीं/नहीं पढ़ा (NA/NR) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामले में बिलिंग:-

NA/NR मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन होगा। ऐसी अंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को अंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (ADF) त्रुटिपूर्ण मीटर (IDF) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (RDF) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाये जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किये जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जायेगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम दो बिलिंग चक्रों हेतु यदि केवल द्विमासिक बिलिंग के मध्य हो, उद्ग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् अनुज्ञापी को सही किये गये मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। त्रुटिपूर्ण मीटर के मामले यथा IDF तथा ADF तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग मामले तथा RDF की जांच व बदलने का कार्य, लागू विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा।

27/01/25

27/01/25

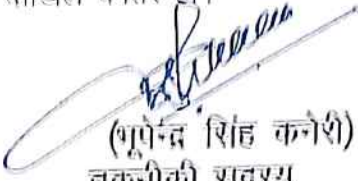
Kirti Prasad
27/01/25

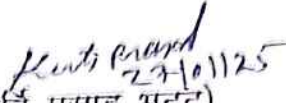
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निरस्तित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवार का परिवार स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिवार के बिलों को संशोधित कर अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवार आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वरान्त विहार वेहरावून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली तालिख तपतर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेशी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

परिवाद संख्या-203/2024

दिनांक:- 27.01.2025

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ऋषिराम सेमवाल पुत्र श्री भवानी दत्त, ग्राम उण्डोली रसवाडी टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री ऋषिराम सेमवाल पुत्र श्री भवानी दत्त, ग्राम उण्डोली रसवाडी टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-28/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित पीपलडाली शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या टी0एच13413048861 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक निर्गत किए जा रहे हैं जबकि विद्युत खपत बहुत कम है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही शिविर के दौरान उपस्थित विपक्षी/विभाग को दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि संशोधित बिल आख्या दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान पेश करें।

दिनांक 03.01.2025 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 254/वि0वि0उप0प्र0 दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि उक्त संयोजन पर सभी बिल मीटर यूनिट पर बने हैं एवं संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

Kushprasad
27/01/25

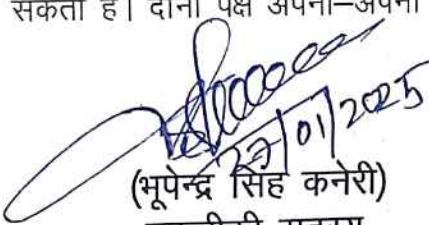
क्रमशः 2.....

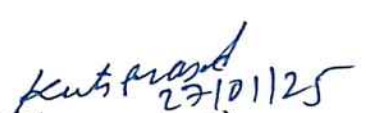
[Signature]
27/01/2025

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी का संयोजन 01 कि०वा० का है और विद्युत खपत भी अधिक नहीं है। तकनीकी दृष्टि से बिल अधिक न होने के कारण उक्त परिवाद/शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी विभाग में चेक मीटर शुल्क जमा कर मीटर की जांच करवा सकता है। त्रुटिपूर्ण रीडिंग पाए जाने पर उपभोक्ता के बिलों में विनियमों के अनुसार सुधार कर दिया जाएगा। परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य